



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS  
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS  
सीमा शुल्क गृह, विलिंग्डन आईलैंड, कोचिन  
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: [www.cochincustoms.gov.in](http://www.cochincustoms.gov.in)

Control Room: 0484-2666422

E-mail: [cochincustoms@nic.in](mailto:cochincustoms@nic.in)

Fax: 0484-2668468

फा सं.: GEN/EDI/UPLD/3/2020-EDI -O/o COMMR-CUS-COCHIN

दिनांक dated:- 31.01.2023

**सार्वजनिक सूचना संख्या PUBLIC NOTICE NO-04/2023**

**विषय: बजट 2023-24 के अंतर्गत प्रणाली में परिवर्तन का अद्यतनीकरण- के संबंध में।**

**Subject: Updation of changes vide Budget 2023-24 in System-reg.**

वर्ष 2023-24 का संघ का बजट संसद में प्रस्तुत किया जाना है। इसके अनुसरण में बजट 2023-24 के प्रस्तुतीकरण के पश्चात प्रणाली महानिदेशालय, नई दिल्ली के पर्यवेक्षण में निदेशिका प्रबंधन की साइट में नामित किए गए बजट अधिकारियों द्वारा आई सी ई एस में अधिसूचनाओं तथा टैरिफ निदेशिकाओं के अद्यतनीकरण का कार्य संपादित किया जाएगा।

The Union Budget 2023-24 is expected to be presented in the Parliament on 01.02.2023. Consequent to the same, the exercise of updation of Notifications and Tariff Directories in ICES would be undertaken by nominated budget officers from Directory Management sites under the supervision of Directorate General of Systems, New Delhi, after the presentation of Budget 2023-24.

2. दिनांक 01.02.2023 को बजट की प्रस्तुति के परिणामस्वरूप, बिल ऑफ एंट्री (बीई) दाखिल करना 01.02.2023 को 17:00 बजे से आईसीईएस में सभी परिवर्तनों के अद्यतन के पूरा होने तक उपलब्ध नहीं होगा। दिनांक 01.02.2023 को 17:00 बजे के बाद धारा 48 स्वीकृतियाँ भी बंद रहेंगी। बीई दाखिल करने के अलावा, अन्य सभी सेवाएँ आइसगेट में हमेशा की तरह जारी रहेंगी। अधिकारियों को आई सी ई एस में अन्य कार्यों के लिए भी सिस्टम उपलब्ध रहेगा।

Consequent to the presentation of Budget on 01.02.2023, filing of Bills of Entry (BE) would not be available from 17:00 hours onwards on 01.02.2023 till the completion of updation of all changes in the ICES. Section 48 approvals would also be stopped after 17:00 hours on 01.02.2023. Other than filing of BE, all other services at ICEGATE will continue as usual. System will also be available to officers for other functions in ICES.

3. चूंकि शिपिंग बिल (एसबी) दाखिल करना और मूल्यांकन करना हमेशा की तरह जारी रहेगा, आने वाले केंद्रीय बजट में निर्यात शुल्क और निर्यात उपकर या अन्य निर्यात संबंधी उगाही में बदलाव की स्थिति में, यह सलाह दी जाती है कि 1 फरवरी 2023 के बाद निदेशिका में ऑनलाइन बदलाव होने तक संबंधित साइटें संबंधित एसबी को लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पर नजर रखेंगी। पूर्वोक्त बजट के कारण परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उस समय तक लगाया गया निर्यात शुल्क या उपकर या कोई अन्य निर्यात लेवी मैन्युअल रूप से उस पर एकत्र किया जाएगा।

Since Shipping Bill (SB) filing and assessment will continue as usual, in the event of changes in the Export Duty and Export Cess or other export related levies in the forthcoming Union Budget, it is advised that the respective sites shall keep a track of the relevant SBs given Let Export Order after 1st February 2023 till the directory changes are made online. Till such time export duty or cess or any other export levies imposed, consequent to the changes owing to aforesaid Budget, would be collected manually thereon.

4. फरवरी 2023 को 17:00 बजे से पहले दर्ज किए गए बीई का प्रसंस्करण हमेशा की तरह जारी रहेगा।

Processing of BEs filed before 17:00 hours on 1st February 2023 will continue as usual.

5. बजटीय परिवर्तनों के अनुसार आई सी ई एस में उपयुक्त अद्यतन किए जाने के बाद ही दस्तावेजों (बीई) को दाखिल करने और संसाधित करने के लिए सिस्टम उपलब्ध होगा। यदि बजट में कोई नई उगाही अधिसूचित नहीं की जाती है तो यह कार्य आम तौर पर निर्देशिका प्रबंधन साइटों और एनआईसी के सहयोग से 48 घंटों के भीतर किया जाता है।

System will be available for filing and processing of documents (BE) only after suitable updation is made in ICES according to the budgetary changes. This is generally carried out within 48 hours in association with Directory Management sites and NIC if no substantial new levies are notified in the Budget.

आयातकों / सीमा शुल्क ब्रोकरों और व्यापार के सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर बताई गई समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने बीई की निकासी निर्धारित करें।

Importers/Customs Brokers and members of the trade are advised to schedule clearance of their BEs in view of timelines as indicated above

(पी. जयदीप, भा.रा.से. P. JAIDEEP, IRS)

सीमा शुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS